

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

**सं.** 692]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर, 26, 2014/पौष 5, 1936

No. 692]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 26, 2014/PAUSHA 5, 1936

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2014

सा. का. नि. 916(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1964 को, जहां तक उनका संबंध बीज संग्राहक, हेड माली, जमादार ज्येष्ठ माली, हेड चौकीदार, पुस्तकालय परिचर, सरदार, पैकर, दफ्तरी, चपरासी, बैरा, माली, पुरुष मजदूर, चौकीदार, मिला मजदूर, साइथ आदमी, घरामी और सफाईवाला के पद से है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (वर्ग 4 पद) भर्ती नियम 1972 को, जहां तक उनका संबंध फराश के पद से है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (वर्ग 3 और 4 पद) भर्ती नियम, 1974 को, जहां तक उनका संबंध नर्सिंग अर्दली, ड्रेसर, डार्करुम परिचर और भंडार परिचर के पद से है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (पादपालय सहायक) भर्ती नियम, 1979, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (संदेशवाहक) भर्ती नियम, 1984, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (पाउन्टर, प्रयोगशाला परिचर और ज्येष्ठ बेरा) भर्ती नियम, 1987 और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (ज्येष्ठ सफाईवाला – समूह घ) भर्ती नियम, 1990 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय के भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में बहु-कार्य – कर्मचारिवृन्द के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :–

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बहु-कार्य कर्मचारिवृंद भर्ती नियम, 2014 है।
- 2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **3.भर्ती की पद्धित,आयु सीमा,अर्हताएं आदि** भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता वह व्यक्ति -
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है,विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;या
  - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के पर्वतन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृति इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

	0	She are a second and the second and		.24		
पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बहु कार्य कर्मचारिवृंद	535 * (2014)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड -1, 5200 - 20200 रुपए + ग्रेड वेतन 1800 रुपए	लागू नहीं होता ।	अयु 18 और 27 वर्ष के बीच  िटप्पण 1:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, राज्य से लद्दाख खंड हिमाचल प्रदेश के लाहोल और	आवश्यक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण वांछनीय:- क्षेत्र से पौधे संग्रहण में अनुभव और हरबेरियम मेथोडोलोजी/ बागवानी में अनुभव

स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के
पांगी उपखंड, अंडमान और
निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के
अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई
है।
टिप्पण 2 :- रोजगार कार्यालय के
माध्यम से की जाने वाली भर्ती की
दशा में आयु-सीमा अवधारित करने
के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम
तारीख होगी जिस तक रोजगार
कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा
गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो	द्वारा विभि	की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा सन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली कयों की प्रतिशतता।
(8)	(9)		(10)
लागू नहीं होता ।	दो वर्ष		सीधी भर्ती द्वारा
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी		भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में संघ
आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में	संरचना		लोक सेवा आयोग से परामर्श किया
वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या			जाएगा
प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया			
जाएगा			
(11)	(12)		(13)
लागू नहीं होता	भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (2) कार्यालय अध्यक्ष स भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, मुख्यालय (3) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ज्येष्ठ अनु.ज	गि : यक्ष दस्य गति/ जो के शक,	लागू नहीं होता

[ फा. सं. 01-16/2011-सी.एस.बी.] डा. आर. दलवानी, सलाहकार

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2014

- G.S.R. 916(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Botanical Survey of India (Class IV posts) Recruitment Rules, 1964 in so far as it relates to the posts of Seed Collector, Head Mali, Jamadar, Senior Mali, Head Chowkidar, Library Attendant, Sardar, Packer, Duftry, Peon, Bearer, Mali, Man Mazdoor, Chowkidar, Woman Mazdoor, Scythe Man, Gharami and Sweeper and in supersession of the Botanical Survey of India (Class IV posts) Recruitment Rules, 1972, in so far as it relates to the posts of Farash and in supersession of the Botanical Survey of India (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1974, in so far as it relates to the posts of Nursing Orderly, Dresser, Dark Room Attendant and Store Attendant and in supersession of the Botanical Survey of India (Herbarium Attendant) Recruitment Rules, 1979 and in supersession of the Botanical Survey of India (Messenger) Recruitment Rules, 1984 and in supersession of the Botanical Survey of India (Mounter, Laboratory Attendant and Senior Bearer) Recruitment Rules, 1987 and in supersession of the Botanical Survey of India (Senior Safaiwala Group 'D') Recruitment Rules, 1990, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff in the Botanical Survey of India Ministry of Environment & Forests, namely:-
  - Short title and commencement.— (1) These rules may be called Botanical Survey of India Multi Tasking Staff Recruitment Rules, 2014.
    - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  - 2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of posts, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
  - Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
  - 4. **Disqualification.** No person, -
    - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
    - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:
    - Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.
- 5. **Power to relax.** Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non- selection post.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Multi Tasking Staff.	535 (2014)*  *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1, Rs.5200-20200 with grade pay of Rs. 1800.	Not applicable.	

I 35	al and lifications for direct	educational qualification	rect the	Period of prif any.	robation,	reco	thod of ruitment, ether by ect ruitment or promotion or deputation/orption and centage of ancies to be ed by various thods.
(6)		(7)		(8)	(9)		(10)
Note 1: The crucial date for determage limit shall be the closing date for applications from candidates in I not the closing date prescribed for Assam, Meghalaya, Arunachal Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh Division of Jan Kashmir State, Lahul and Spiti Di Pangi Sub-Division of Chamba Di Himachal Pradesh, Andaman and Islands or Lakshadweep)  Note 2: In the case of recruitmenthrough Employment Exchange, the date for determining the age limit she last date upto which the Emi Exchange is asked to submit the name	or receipt andia (and those in Pradesh, Tripura, annu and strict and istrict of Nicobar and all be the ployment	Matriculation or equivalents pass from a recognised Board.  Desirable: Experience in plant collection from field and experience in Herbarium methodology/ gardening.	арр	licable.			recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :-  (1) Director, Botanical Survey of India — Chairman  (2) Head of Office, Botanical Survey of India,  Headquarters — Member	Not applicable.
	(3) Senior SC/ST Officer/Scientist of BSI to lookafter the interest of SC/ST (to be nominated by Director, BSI).	

[F. No.: 01-16/2011-CSB] Dr. R. DALWANI, Advisor